



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092020-221797
CG-DL-E-17092020-221797

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2020/भाद्र 26, 1942

No. 461]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2020/BHADRA 26, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2020

सं. 34/2020-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 567(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड, (i) में प्रकाशित किया गया था, में, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) प्रथम परंतुक में, उपवाक्य (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ड.) उक्त सारणी के क्रम संख्या 21ड. और 21च के समक्ष विनिर्दिष्ट वस्तुएं,-

- (i) 1 सितम्बर, 2020 से 17 सितम्बर, 2020 के दौरान; और
 - (ii) 31 अक्तूबर, 2020 के पश्चात।”;
- (ख) दूसरे परन्तुक में अंक और अक्षर “21घ”, के पश्चात अंक और अक्षर “21ड.”, को अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 354/368/2017-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 33/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 7 सितम्बर, 2020, जिसे सा.का.नि. 547(अ), दिनांक 7 सितम्बर, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2020

No. 34/2020-Customs

G.S.R. 567(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017- Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in the first proviso, for clause (e), the following clause shall be substituted namely: -

“(e) the goods specified against serial numbers 21E and 21F of the said table, -

- (i) during the period 1st day of September, 2020 to the 17th day of September, 2020, and;
- (ii) after the 31st day of October, 2020.”;

- (b) in the second proviso, after the figure and letter “21D.”, the figure and letter “21E.”, shall be inserted.

[F. No. 354/368/2017-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note: The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended by notification No. 33/2020-Customs, dated the 7th September, 2020, published *vide* number G.S.R. 547(E), dated the 7th September, 2020.